

अध्याय – 4

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

कार्य	प्रतिमाह	सम्बन्धित अधिकारी / शाखा
जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 21 दिन के अन्दर आवेदन करने पर निःशुल्क दर्ज ❖ 21 से 30 दिवस तक 1रु. विलम्ब शुल्क के साथ, ❖ 30 दिन के बाद एक वर्ष तक नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र के आधार पर 1रु. शुल्क के साथ ❖ 1 वर्ष बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 1/-रु शुल्क जमा करने पर 	जोन में क्षेत्रीय आयुक्त / राजस्व अधिकारी /उप रजिस्ट्रार निगम मुख्यालय में रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु तथा उप रजिस्ट्रार
जन्म प्रमाण पत्र जारी करना	<ul style="list-style-type: none"> ❖ आवेदन के दिन ही। 	जोन में क्षेत्रीय आयुक्त / राजस्व अधिकारी /उप रजिस्ट्रार निगम मुख्यालय में रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु तथा उप रजिस्ट्रार
विवाह पंजीयन जारी करना	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 माह में रजिस्ट्रेशन कराने पर 10/-रु0, दो दिवस में जारी करना, ❖ 1 माह बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर 100/- रु0, दो दिवस में जारी करना, 	जोन में आयुक्त /राजस्व अधिकारी निगम मुख्यालय में रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु।
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	<ul style="list-style-type: none"> ❖ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर 1 माह की अवधि निस्तारण 	आयुक्त एस.जे.एस.आर. वाई.

भवन निर्माण स्वीकृति	<p>जे.डी.ए. भवन विनियम 2010 के अन्तर्गत जे.डी.ए. से हस्तांतरित क्षेत्र में (।) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति 250 वर्गमी. तक के क्षेत्रफल पर आवासीय प्रयोजनार्थ ग्रीन फाईल क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत पत्रावली तथा नियमानुसार राशि जमा कराने पर अनुमति की आवश्यकता नहीं</p> <p>(ठ).समस्त प्रकार के व्यावसायिक एवं संस्थानिक भवनों एवं 500 वर्गमी. से अधिक के क्षेत्रफल वाले आवासीय भवनों की स्वीकृति 2 माह में (स्वामित्व व नक्शा सही) होने की दशा में।</p>	क्षेत्रीय आयुक्त /आयुक्त आयोजना
भवन निर्माण स्वीकृति चार दीवारी क्षेत्र में	चारदीवारी क्षेत्र में पत्रावली प्रस्तुत करने पर 2 माह में (स्वामित्व व नक्शा सही) होने की दशा में।	
भवन अनुज्ञा का नवीनीकरण	❖ आवेदन अनुज्ञा मिलने के अनुमति 3 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा अधिकतम अवधि दो माह में निस्तारण,	जोन आयुक्त/आयुक्त आयोजना
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	<p>❖ ट्यूब लाईट सोडियम आदि का संधारण 3 दिवस</p> <p>❖ नये फिक्सचर लगाना(उपलब्धता के आधार पर)</p>	अधिशाषी अभियन्ता विद्युत

सिविल इंजिनियरिंग शाखा

सड़क रखरखाव

❖ गड्डों को भरना	❖ 7 कार्य दिवस	अति. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता/
❖ टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत	❖ 15 कार्य दिवस	
❖ सड़कों पर हुई रुकावट को हटाना	❖ 1 कार्य दिवस	

❖ नदारद मैनहोल ढ़कन पुनः लगाना	❖ 1 कार्य दिवस	
❖ सड़क काटने की अनुमति का निर्णय	❖ आवेदन पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अन्दर।	

रैन बसेरा (स्थाई रेल्वे स्टेशन)

❖ सेवाएँ रात्रि को उपलब्ध	❖ 2/-रु. शुल्क	आयुक्त विद्याधर नगर जोन
---------------------------	----------------	-------------------------

रैन बसेरा (अस्थाई)

❖ केवल सर्दियों में आवश्यकतानुसार खोलेगी।		आयुक्त मुख्यालय /क्षेत्रीय आयुक्त
---	--	-----------------------------------

फायर ब्रिगेड सेवाएँ

❖ 24 घन्टे उपलब्ध	❖ सूचना प्राप्त होते ही उपलब्ध करायी जायेगी।	मुख्य अग्निशमन अधिकारी
-------------------	--	------------------------

सीवरेज कनेक्शन व सड़क काटने की अनुमति

(क) सीवर कनेक्शन

❖ नगर निगम जोन कार्यालय से आवेदन पत्र जारी	❖ प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 4.00बजे तक।	जोन आयुक्त/ अधिशासी अभियन्ता सीवर
❖ आवेदन पत्रों की प्राप्ति	❖ फार्म जारी करने के दिन।	
❖ आवेदन पत्रों में किसी प्रकार की कमी की सूचना आवेदकों को	❖ अधिकतम 3 दिवस में	
❖ कोष में फीस जमा कराना		

● स्वीकृति पत्र जारी करना	❖ फीस जमा होने के उपरान्त 2 दिवस दिन के अन्दर	
● सड़क काटने की अनुमति	❖ स्वीकृति पत्र के साथ ही	

(ख) सीवर लाईन सफाई

❖ सीवर लाईन रुकना	❖ 1 दिन के अन्दर	आयुक्त स्वास्थ्य/स्वास्थ्य अधिकारी
❖ सीवर का बाहर बहना(ओवर फ्लो)	❖ 1 दिन के अन्दर	
❖ टूटी-फूटी सीवर लाईनों की मरम्मत	❖ 3 दिन के अन्दर	अधिशासी अभियन्ता

(ग) सफाई

❖ रोड	❖ उसी दिन	
❖ नालियों	❖ उसी दिन कार्य के अनुसार लगाने वाले समय के अनुरूप	

सामुदायिक भवन

❖ आवेदन पत्र	❖ सामुदायिक भवन के कार्यालय से कार्य दिवसों में प्रातः 10.00बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक उपलब्ध, ❖ बुकिंग शुल्क की अदायगी	क्षेत्रीय आयुक्त
❖ आवंटन	❖ जोन कार्यालयों में प्रातः 10.00बजे से दोपहर 2.00बजे तक।	
	❖ शुल्क अदायगी के दिन ही।	

उद्यान शाखा

❖ सभी पार्क और उद्यान जनता के लिये खुले रहेंगे ❖ भीषण वर्षा/आंधी के कारण उखड़े वृक्षों को हटाना	❖ सर्दियों में प्रतिदिन प्रातः 6.00बजे से रात्रि 8.00बजे तक एवं गर्मियों में प्रातः 5.00 बजे, से रात्रि 9.00बजे तक। ❖ 1 दिन के अन्दर।	आयुक्त उद्यान
--	--	---------------

सफाई

<ul style="list-style-type: none"> ❖ सड़कों व नालियों की सफाई ❖ कूड़े करकट को नगर निगम के कूड़ेदानों व ढलावों से एकत्रित करना व हटाना ❖ कूड़ा करकट न उठाने सम्बन्धी शिकायतों की प्राप्ति 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ एक दिन ❖ प्रतिदिन प्रातः 7.00बजे से ❖ शिकायत का निस्तारण 4 घन्टे के भीतर। 	आयुक्त / स्वास्थ्य अधिकारी / सी.एस.आई / एस.आई.
---	---	--

मृत पशु को हटाना एवं आवारा जानवर पकड़ना

<ul style="list-style-type: none"> ❖ मृत पशुओं को हटाना ❖ आवारा जानवर पकड़ना 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष में सूचना मिलने के 1 घन्टे के अन्दर ❖ सूचना के 24 घन्टे के अन्दर पकड़ना। 	आयुक्त गौशाला
--	--	---------------

अतिक्रमण / अवैध निर्माण पर कार्यवाही

अवैध निर्माण/अतिक्रमण पर कार्यवाही	सूचना/रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त होने पर यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही ।	आयुक्त जोन/आयुक्त सतर्कता
------------------------------------	--	---------------------------

<ul style="list-style-type: none"> ❖ टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 15 कार्य दिवस 	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ सड़कों पर हुई रुकावट को हटाना 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 कार्य दिवस 	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ नदारद मैनहोल ढ़ककन पुनः लगाना ❖ सड़क काटने की अनुमति का निर्णय 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 कार्य दिवस ❖ आवेदन पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अन्दर। 	

रैन बसेरा (स्थाई रेल्वे स्टेशन)

<ul style="list-style-type: none"> ❖ सेवाएँ रात्रि को उपलब्ध 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 2/-रु. शुल्क 	आयुक्त विद्याधर नगर जोन
---	--	-------------------------

रैन बसेरा (अस्थाई)

<ul style="list-style-type: none"> ❖ केवल सर्दियों में 		आयुक्त मुख्यालय
---	--	-----------------

फायर ब्रिगेड सेवाएं

<ul style="list-style-type: none"> ❖ 24 घन्टे उपलब्ध 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सूचना प्राप्त होते ही उपलब्ध करायी जायेगी। 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ मुख्य अग्निशमन अधिकारी
---	--	--

सीवरेज कनेक्शन व सड़क काटने की अनुमति

(क) सीवर कनेक्शन

<ul style="list-style-type: none"> ❖ नगर निगम जोन कार्यालय से आवेदन पत्र जारी ❖ आवेदन पत्रों की प्राप्ति ❖ आवेदन पत्रों में किसी प्रकार की कमी की सूचना आवेदकों को ❖ कोष में फीस जमा कराना 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 4.00बजे तक। ❖ फार्म जारी करने के दिन। ❖ अधिकतम 3 दिवस में 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जोन आयुक्त/अधिशासी अभियन्ता सीवर
--	---	--

• स्वीकृति पत्र जारी करना

<ul style="list-style-type: none"> ● स्वीकृति पत्र जारी करना ● सड़क काटने की अनुमति 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ फीस जमा होने के उपरान्त 2 दिवस दिन के अन्दर ❖ स्वीकृति पत्र के साथ ही 	
---	--	--

(ख) सीवर लाईन सफाई

<ul style="list-style-type: none"> ❖ सीवर लाईन रुकना ❖ सीवर का बाहर बहना(ओवर फ्लो) ❖ टूटी-फूटी सीवर लाईनों की मरम्मत 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 दिन के अन्दर ❖ 1 दिन के अन्दर ❖ 3 दिन के अन्दर 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ आयुक्त स्वास्थ्य /स्वास्थ्य अधिकारी ❖ अधिशासी अभियन्ता
---	--	---

(ग) सफाई

❖ रोड	❖ उसी दिन	
❖ नालियों	❖ उसी दिन कार्य के अनुसार लगने वाले समय के अनुरूप	

सामुदायिक भवन

❖ आवेदन पत्र	❖ सामुदायिक भवन के कार्यालय से कार्य दिवसों में प्रातः 10.00बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक उपलब्ध,	क्षेत्रीय आयुक्त
❖ बुकिंग शुल्क की अदायगी	❖ जोन कार्यालयों में प्रातः 10.00बजे से दोपहर 2.00बजे तक।	
❖ आवंटन	❖ शुल्क अदायगी के दिन ही।	

उद्यान शाखा

❖ सभी पार्क और उद्यान जनता के लिये खुले रहेंगे	❖ सर्दियों में प्रतिदिन प्रातः 6.00बजे से रात्रि 8.00बजे तक एवं गर्मियों में प्रातः 5.00 बजे, से रात्रि 9.00बजे तक।	आयुक्त उद्यान
❖ भीषण वर्षा/आंधी के कारण उखड़े वृक्षों को हटाना	❖ 1 दिन के अन्दर।	

सफाई

<ul style="list-style-type: none"> ❖ सड़कों व नालियों की सफाई ❖ कूड़े करकट को नगर निगम के कूड़ेदानों व ढलावों से एकत्रित करना व हटाना ❖ कूड़ा करकट न उठाने सम्बन्धी शिकायतों की प्राप्ति 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ एक दिन ❖ प्रतिदिन प्रातः 7.00बजे से ❖ शिकायत का निस्तारण 4 घन्टे के भीतर। 	<p>आयुक्त / स्वास्थ्य अधिकारी / सी.एस.आई / एस.आई.</p>
--	--	---

मृत पशु को हटाना एवं आवारा जानवर पकड़ना

<ul style="list-style-type: none"> ❖ मृत पशुओं को हटाना ❖ आवारा जानवर पकड़ना 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष में सूचना मिलने के 1 घन्टे के अन्दर ❖ सूचना के 24 घन्टे के अन्दर पकड़ना। 	<p>आयुक्त गौशाला</p>
---	--	----------------------

अतिक्रमण / अवैध निर्माण पर कार्यवाही

<p>अवैध निर्माण/अतिक्रमण पर कार्यवाही</p>	<p>सूचना/रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त होने पर यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही।</p>	<p>आयुक्त जोन/आयुक्त सतर्कता</p>
---	--	----------------------------------

Filename: RTI 2005 Section 4-1 Self-Disclosure Chapter 4
Directory: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\RTI 2005
Section 4-1 Self-Disclosure All Chapter
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: v;k; & 4
Subject:
Author: manoj
Keywords:
Comments:
Creation Date: 8/31/2010 3:29:00 PM
Change Number: 10
Last Saved On: 7/31/2013 5:04:00 PM
Last Saved By: Corporate Edition
Total Editing Time: 4 Minutes
Last Printed On: 7/31/2013 5:13:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 8
Number of Words: 1,034 (approx.)
Number of Characters: 5,897 (approx.)